न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 67 / 2023

वादीगण

1. हाजी खां पुत्र हकीम खां
2. साबू खां पुत्र हकीम खां
3. भादीन खां पुत्र हकीम खां जातियान सिन्धी मुसलमान सिन्धीनगर तहसील बिलाडा

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. सुबान खां पुत्र हकीम खां
2. श्रीमति अकीया पत्नी हकीम खां जातियान सिन्धी मुसलमान निवासीगण सिन्धीनगर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः—वादी की ओर से श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी – 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 3—सरकारी पेरोकार।

<u>निर्णय</u> दिनांकः— 25/07/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ओलवी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नंबर 222 रकबा 4.8136 हैक्टयर स्थित है। यह भूमि वादीगण के पिताजी हकीम खां पुत्र आदम खां की 1/12 हिस्से की संयुक्त खातेदारी की थी। हकीम खां के चार पुत्र हाजी खां, साबू खां, पीर खां, सुबान खां तथा एक पत्नी अकीया है। खातेदार हकीम खां का देहान्त सन् 1995 में हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादीगण के पिताजी हकीम खां पुत्र आदम खां का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादीगण का लिपिकीय भूलवश या त्रुटिवश हुजी खां, साहबू खां, पीर खां नाम लिख दिया जबकि वादी सं. 1 का वास्तविक नाम हाजी खां तथा वादी सं. 2 का वास्तविक नाम साबू खां तथा वादी सं. 3 का वास्तविक नाम भादीन खां है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम ओलवी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नंबर 222 रकबा 4.

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

8136 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में हुजी खां पुत्र हकीम खां के स्थान पर हाजी खां पुत्र हकीम खां तथा साहबु खां पुत्र हकीम खां के स्थान पर साबू खां पुत्र हकीम खां तथा पीर खां पुत्र हकीम खां के स्थान पर भादीन खां पुत्र हकीम खां की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश फरमावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 222 रकबा 4.8136 हैक्टयर ग्राम ओलवी की सीमा में आई हुई है। वादीगण का प्रथम बार राजस्व रेकर्ड में नाम नामा. 725 विरासत (आदम खां व हकीम खां) के फौत होने पर दर्ज हुआ। हकीम खां के स्थान पर अकीया बेवा हकीमखां साहबुखां, पीरखां, सुबानखां, हाजीखां पि. हकीम खां दर्ज हुआ। वादी 1 हाजी खां का नाम नामा. भरते समय हाजी खां लिखा गया है, जो सही है। वादी 2 का नाम साबू खां के स्थान पर साहबू खां व वादी 3 का नाम भादीन खां के स्थान पर पीरखां दर्ज हो गया जो सही नहीं है। वादीगण का सही नाम 1 हाजीखां, 2 साबु खां, 3 भादीन खां है जो सही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम ओलवी के खसरा 222 रकबा 4.8136 हैक्टयर जो संयुक्त खातेदारी में है नामा. सं. 725 में गलत दर्ज नामों की दुरूस्ती किये जाने की रिपोर्ट पेश है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र साबू खां हकीम खां का प्रेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खसरा नम्बर 222 ग्राम ओलवी , प्रदर्श 2 आधारकार्ड हाजी खां पुत्र हकीम खां, प्रदर्श 3 जनआधारकार्ड कसुमी पत्नी हाजी खां आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधार कार्ड हाजी खान पुत्र हकीम खान, प्रदर्श 2 पहचान पत्र हाजी खान पुत्र हकीम खान, प्रदर्श 3 जनआधारकार्ड कसुमी पत्नी हाजी खां, प्रदर्श 4 आधार कार्ड साबू खां पुत्र हकीम खां, प्रदर्श 5 जनआधारकार्ड हूमली पत्नी साबु खां, प्रदर्श 6 पहचान पत्र भादीन खां पुत्र हकीम खां, प्रदर्श 7 आधार कार्ड भादीन

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खां पुत्र हकीम खां, आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीगण के सरकारी दस्तावेजात में वादीगण के नाम हाजी खां पुत्र हकीम खां, साबु खां पुत्र हकीम खां व भादीन खां पुत्र हकीम खां दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम हूजी खां पुत्र हकीम खां, साहबू खां पुत्र हकीम खां व पीरखां पुत्र हकीम खां के नाम से दर्ज है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादीगण राजस्व रेकर्ड में अपने नाम हाजी खां पुत्र हकीम खां, साहबू खां पुत्र हकीम खां व भादीन खां पुत्र हकीम खां की घोषणा कराने का अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने हूजी खां पुत्र हकीम खां, साहबू खां पुत्र हकीम खां व पीरखां पुत्र हकीम खां के स्थान पर हाजी खां पुत्र हकीम खां, साबु खां पुत्र हकीम खां व भादीन खां पुत्र हकीम खां किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम ओलवी के खसरा नंबर 222 रकबा 4.8136 हैक्टयर मे दर्ज खातेदार हूजी खां पुत्र हकीम खां, साहबू खां पुत्र हकीम खां व पीरखां पुत्र हकीम खां के स्थान पर हाजी खां पुत्र हकीम खां, साबु खां पुत्र हकीम खां व भादीन खां पुत्र हकीम खां की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23/04/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस. वादी**

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादी**

हाजी खां सुबान खां वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 16 / 2024

निर्णय **दिनांक :–** 23/09/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपत लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम ओलवी के खसरा नंबर 222 रकबा 4.8136 हैक्टयर मे दर्ज खातेदार हूजी खां पुत्र हकीम खां, साहबू खां पुत्र हकीम खां व पीरखां पुत्र हकीम खां के स्थान पर हाजी खां पुत्र हकीम खां, साबु खां पुत्र हकीम खां व भादीन खां पुत्र हकीम खां की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/9/24 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा